अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.................................से.................................तक

जिला.................................., सं0.................................., सन् १६..................................

केस का प्रकार..................................

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या : 234 / 2012

जितेन्द्र कुमार — अपीलार्थी

वनाम

मो० अतहर हुसैन खॉ एवं अन्य -- रेस्पाण्डेन्ट्स / विपक्षीगण

—:आदेश:—

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल, के आदेश दिनांक 31.05.2012 ई० भूमि विवाद वाद अन्दर वाद संख्या 30 / 2011–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों को बहस के दौरान सुना। अभिलेख का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में कथन करते हैं कि विवादी भूमि मौजाः दाढ़ी भवानीपुर, थानाः पिपरा, जिलाः सुपौल, खाता पुरानाः 120, खेसरा पुरानाः1366, खेसरा नयाः 2210, रकवाः 16 डी० वो खेसरा पुरानाः 1382, खेसरा नयाः 2224, रकवाः 16 डी० से संबंधित है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि विवादित भूमि जगदेव यादव के हकियत वो दखल को देख कर ही प्रार्थी आवेदक के पिताः कपिलदेव सिंह वो चाचा सुर्य नारायण सिंह ने वर्ष 1972 में केबाला नं० 747 के द्वारा प्राप्त कर हकदार वो दखलकार हुए तथा हकियत वो दखली के आधार पर बिहार सरकार के अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी नं0 950 कपिलदेव सिंह एवं जमाबंदी नं0 949 सूर्यनारायण सिंह के नाम से दर्ज हुआ वो अपने नाम से दाखिल खारिज करा कर मालगुजारी अदायकर रसीद प्राप्त करते आ रहें हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रश्नगत् भूमि का खाता चकबंदी के प्रतिवादीगण के नाम से गलत ढंग से दर्ज हो जाने के कारण सहायक चकबंदी पदाधिकारी, पिपरा के न्यायालय में

वाद संख्याः 690/77 दायर किया जिसमें चकबंदी पदाधिकारी के न्यायालय में प्रतिवादीगण उपस्थित होकर आपसी समझौता किये और उभय पक्षों के समझौता के आधार पर फैसला वादी के पक्ष में हुआ, जिसका नया खेसराः 2210 एवं 2224 है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध कहीं भी कोई अपील या रिभिजन नहीं किया गया वो उक्त आदेश का 30 वर्ष बीत जाने के बाद प्रतिवादीगण 3 के पुत्र ने जबरन आड़–मेड को तोड़ कर अपने जमीन में मिलाने का कोशिश किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत भूमि के निश्वत किसी तरह का हकियत पूर्व में नहीं था और न वर्त्तमान में है और न एक पल के दखलकार हुए। वादी ने प्रतिवादीगण को भूमि पर जाने से रोकने के लिए निम्न न्यायालय में वाद दायर किया लेकिन निम्नन्यायालय ने अपीलकर्त्ता के कागजात पर कोई विचार नहीं किये और अस्पष्ट , भेग आदेश पारित कर दिये।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में केवाला चतुरी मंडल बहक जगदेव यादव दिनांक 03.07.63 की छाया प्रति, केवाला जगदेव यादव बहक सूर्य नारायण सिंह वो कपिलदेव सिंह दिनांक 31.01.72 की छाया प्रति, मालगुजारी रसीद नाम से कपिलदेव सिंह वा सूर्य नारायण सिंह जमाबन्दी नं0 950 वो 949 की छाया प्रति, न्यायालय सहायक चकबन्दी पदाधिकारी, पिपरा का आदेश दिनांक 15.09.1980 अन्दर केश नं0 690/1977 की छाया प्रति एवं रेस्नपोण्डेन्ट का केवाला दस्तावेज दिनांक 08.07.63 की छाया प्रति दाखिल किये हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में कथन करते हैं कि मौजुदा अपील के सिडूल नं0 1 की जमीन जो मौजा दाढ़ी भवानीपुर स्थित खाता पु0 120 का खेसरा पुराना 1366 का कुल रकबा 23 डीसमल एवं खेसरा पुराना 1382 का कुल रकबा 23 डीसमल जमीन नैना लाल मण्डल वो कारी लाल मंडल की थी उक्त जमीन का पुराना खतियान भी उक्त दोनों भाईयों के नाम से बना चूँकि दोनों भाई नावल्द थे इसलिए दोनों भाई आपस में मौखिक बँटवारा किया वो मौखिक बँटवारा में विवादी जमीन के खेसरों का कुल रकबा नैना लाल मंडल के खास हिस्से में आया। आगे यह भी कथन करते हैं कि 1902 ई0 में हकियत वो दखल के आधार पर जो खतियान बना उक्त खतियानी में खाता पुराना 120 में 64 खेसरायें हैं जो अंश वो खेसरा के अनुसार कब्जावारी सभी फरीक के हिस्से अनुसार दर्ज किया गया है, जिसमें विवादी जमीन का खेसरा 1366 रकबा 23 डीसमल एवं खेसरा पुराना 1382 रकबा 23 डीसमल जमीन नैना लाल मण्डल वो कारी लाल मण्डल बकब्जे दर्ज बतलाते है।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि नैना लाल मंडल नावल्द थे, उन्होंने खाता 120, खेसरा 1366 को 1382 सहीत अन्य अपने हिस्से की जमीन केबाला नं० 549 दिनांकः 03.02.1925 में बच्चू लाल मंडल बीनहाई लाल मंडल के हाथ बिक्री कर दिया। बच्चू लाल मंडल खरीदगी के बाद उक्त केबाला द्वारा अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाया वो दखलकार होते चले आये। चूँकि बच्चू लाल मंडल जो नावल्द थे, उनके जीवन काल में उनकी पत्नी मर गई। लगभग 1949 ई० में बच्चा लाल भी मर गये, इसलिए उनकी संपत्ती का मात्र उत्तराधिकारी उनके चचेरा भाई रब्बी यादव वो फब्बी यादव बच गये जो बच्चू लाल मण्डल की सम्पति पर उक्त दोनों भाईयों की उत्तराधिकारी के रूप में

अधिकार प्राप्त हुआ वो कुल रकवा की भूमि पर दखलकार बने रहें। आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी एक पल के लिए भी विवादी जमीन पर आज तक दखलकार नहीं हुए। इस बीच रब्बी यादव को फब्बी यादव ने प्रतिवादी संख्याः 1 अतहर हुसैन खॉं पे० अबदुर हनान खॉं के हाथ बिक्रीनामा केबाला नं० 5436 दिनांकः 08.07.1963 ई० एवं केबाला संख्याः 549 दिनांकः 03.02.1926 के द्वारा कुल भूमि जिसमें विवादी खेसरों की कुल रकबा सहित बिक्री कर दिया तथा प्रतिवादीगण को दखल दे दिया वो प्रतिवादीगण जमाबंदी संख्याः 705 अपने नाम कराकर दखलकार हो गये जो आज तक दखलकार हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि वर्त्तमान मुकदमा के आवेदक कपिलदेव सिंह एवं चाचा सूर्य नारायण सिंह जो चकबंदी में वाद लाया था, उस मुकदमा में वर्त्तमान मुकदमा के प्रतिवादी संख्याः 2 अख्तर हुसैन खॉं, जो बड़े भाई है एवं 3 साकिर हुसैन को पक्षकार नहीं बनाया गया था, इस प्रकार वाद का पारा 6 में किया गया कथन से प्रतिवादीगण इन्कार करता है प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि केबाला संख्याः 5436 दिनांकः 08.07.1963 ई० के द्वारा खरीदगी जमीन के क्रेता अतहर हुसैन खॉं हैं जो उक्त समय से लेकर हाल तक अख्तर हुसैन के नाम की जमीन तो अतहर हुसैन खॉं के नाम की एवं साकिर हुसैन खॉं के नाम की खरीदगी ईजमाईए संपत्ति बनी रही जिस पर प्रतिवादीगण हकियत वो दखल वो कब्जा संयुक्त रहा बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स अपने दावे के समर्थन में खतियान की छाया प्रति दाखिल किये है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया एवं पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील खारिज। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल सहरसा